

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(3) गृह-10/2016

जयपुर, दिनांक 24/12/2020

**आज्ञा**


राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के सहायक निदेशक अभियोजन के पद की रिक्तियों को पदोन्नति से भरने हेतु दिनांक 23.06.2016 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशपा को रिव्यू करने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.09.2020 की अभिशपा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों को सहायक निदेशक अभियोजन के अस्थाई पदों पर उनके नाम के सामने अंकित रिक्ति की दिनांक से पदोन्नति किया जाता है -

क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति की दिनांक
1.	श्री पदमचन्द	अनुसूचित जाति	2015-16	01.04.2015
2.	श्री गिर्राज प्रसाद जोनवाल	अनुसूचित जाति	2015-16	01.04.2015
3.	श्री अशोक कुमार जोशी	अनुसूचित जाति	2015-16	01.04.2015
4.	श्री पंकज कुमार वर्मा	अनुसूचित जाति	2015-16	01.04.2015
5.	श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा	सामान्य वर्ग	2015-16	01.04.2015
6.	श्री अजय कुमार श्रीवारस्तव	सामान्य वर्ग	2015-16	01.04.2015
7.	श्री अशोक कुमार भारद्वाज	सामान्य वर्ग	2015-16	01.04.2015
8.	श्री सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज	सामान्य वर्ग	2015-16	01.08.2015
9.	श्री उमाशकर खण्डेलवाल	सामान्य वर्ग	2015-16	01.08.2015
10.	श्री नित्येन्द्र कुमार शर्मा	सामान्य वर्ग	2015-16	01.08.2015
11.	श्री नदकिशोर साखला	सामान्य वर्ग	2015-16	01.08.2015




क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति की दिनांक
12.	श्री मुरारीलाल शर्मा	सामान्य वर्ग	2015-16	01.09.2015
13.	श्री लखनलाल भीना	अनुसूचित जनजाति	2015-16	01.10.2015
14.	श्री मातादीन भीना	अनुसूचित जनजाति	2015-16	01.11.2015
15.	श्री प्रदीप कुमार	अनुसूचित जनजाति	2015-16	01.03.2016
16.	श्री मेघराम भीना	अनुसूचित जनजाति	2015-16	01.03.2016

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष पदोन्नत सहायक निदेशक अभियोजन का उनके नाम के आगे अंकित रिक्ति की तिथी के अनुसार उनका वेतन पुनर्निर्धारण किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से  
  
 (राजेन्द्र कुमार सैनी)  
 विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)  
 राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
 विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)  
 राजस्थान, जयपुर